167

संलग्नक–08

मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा ग्राम–चिल्हाटी, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर में प्रस्तावित नवीन केप्टिव लाईम स्टोन माईन–4.0 एमटीपीए (एमएल एरिया–1236.479 हेक्टेयर) के स्थापना के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 03.04.2013 को ग्राम पंचयात –पतैईडीह आश्रित ग्राम–जैतपुरी, तह0–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर में संपन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण

23

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई0 आई0 ए0 अधिसूचना 14.09.2006 के अंतर्गत् मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा ग्राम–चिल्हाटी, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर में प्रस्तावित नवीन केप्टिव लाईम स्टोन माईन–4.0 एमटीपीए (एमएल एरिया–1236.479 हेक्टेयर) की स्थापना के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में लोक सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा जन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 03.04.2013 को ग्राम पंचयात –पतैईडीह आश्रित ग्राम–जैतपुरी (खेल का मैदान), तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर में श्री एन. के. टिकाम, अपर कलेक्टर, जिला–बिलासपुर की अध्यक्षता एवं बी. एस. ठाकुर, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की सहभागिता में लोक सुनवाई प्रारंभ की गई।

अपर कलेक्टर, श्री एन. के. टिकाम द्वारा उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधियो तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जन सुनवाई के महत्व एवं उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए लोक सुनवाई के संबंध में छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही के अंतर्गत् 03 स्थानीय समाचार पत्रों क्रमशः नवभारत, दैनिक भास्कर एवं तथा हरिभूमि में क्रमशः दिनांक 01.03.2013 एवं 02.03.2013 तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 01.03. 2013 के माध्यम से सर्वसंबंधितो को सूचनार्थ संबंधी प्रकाशन कार्य कराये गये। उपस्थित जनसामान्य को उपरोक्त के संबंध में अवगत कराते हुये लोक सुनवाई प्रारंभ करने की विधिवत घोषणा की गई साथ ही यह व्यवस्था दी गई कि लोक सुनवाई में सभी इच्छुक

वक्ताओं को अपनी राय, सुझाव, विचार तथा आपत्तियां रखने के लिए पूरा–पूरा अवसर दिया जावेगा तथा सभी वक्ताओं के बोलने के पश्चात् ही लोक सुनवाई की कार्यवाही संम्पन्न की जावेगी। यह भी समझाईश दी गई कि जब वक्ता अपना वक्तब्य दे रहे हो तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति व्यवधान न डाले व कोई टीका टिप्पणी न करें, तथा शांति व्यवस्था बनाई रखी जावें। यह भी बताया गया कि जो कोई व्यक्ति लिखित में अपना विचार, सुझाव, सहमति व आपत्ति आदि देना चाहे तो वे दे सकते है। ऐसे लिखित में प्राप्त सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां की अभिस्वीकृति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, के क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दी जावेगी तथा उसे अभिलेख में लाया जावेगा।

इसके पश्चात् अपर कलेक्टर, एवं क्षेत्रीय अधिकारी, बिलासपुर द्वारा मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा ग्राम–चिल्हाटी, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर में प्रस्तावित नवीन केप्टिव लाईम स्टोन माईन–4.0 एमटीपीए (एमएल एरिया–1236.479 हेक्टेयर) की स्थापना के संबंध में उद्योग प्रतिनिधि को परियोजना से संबंधित सामान्य जानकारी के साथ–साथ पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की जानकारी से उपस्थित जन सामान्य को अवगत कराने का निर्देश दिया गया।

मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, के ए.जी.एम. श्री समीर शर्मा द्वारा प्रस्तावित नवीन केप्टिव लाईम स्टोन माईन–4.0 एमटीपीए (एमएल एरिया–1236.479 हेक्टेयर) की स्थापना के संबंध में जन सामान्य को खदान एवं खदान से संभावित पर्यावरणीय स्थिति की जानकारी दी गई।

अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित नवीन केप्टिव लाईम स्टोन माईन–4.0 एमटीपीए (एमएल एरिया–1236.479 हेक्टेयर) की स्थापना के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। जन सुनवाई में आसपास के ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित नवीन केप्टिव लाईम स्टोन माईन के पर्यावरणीय जन सुनवाई में एक–एक कर अपना सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां रखे। जन सामान्य द्वारा निम्नानुसार सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां दर्ज कराई गई :–

1. **श्री लखनलाल टंडन, ग्राम–सोनसरी** :– उद्योग प्रबंधन द्वारा सब चीज का व्यवस्था किया जाता है एवं उस क्षेत्र में नुकसान नहीं होगा तो हम इस प्लांट का समर्थन करते है।

2. **श्री भूषण सिंह मधुकर, ग्राम–पचपेड़ी**:–आज ये प्लांट लाफार्ज द्वारा ग्राम पंचायत–पतैईडीह के आश्रित ग्राम–जैतपुरी में जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है बिल्कुल स्वागत योग्य है। लेकिन मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ जो भदौरा में हुआ उस प्रकार जैतपुरी आश्रित ग्राम पतैई के लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का छलावा न हो, जिन किसानों का भूमि अधिग्रहण किया गया है। उन किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए एवं परिवार को रोजगार देना चाहिए। साथ में लाफार्ज कंपनी वाले को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पानी की व्यवस्था करना चाहिए। गांव के हित में किसानों एवं बेरोजगारों के हित में ये कार्य को मांग के आधार पर बेरोजगार लोगों को यदि रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो मै समर्थन करता हूँ।

3. **श्री गणेश कुमार पटेल, ग्राम–पतैईडीह**:– हमारे ग्राम के जो भी समस्यायें है उसको रखना चाहता हूं, कि हमारे ग्राम पंचायत पतैईडीह में जन सुनवाई कार्यकम रखा गया है यहां जो भी प्रशासनिक अधिकारी आये हैं मैं लाफार्ज से 2 शर्त रखना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत पतैईडीह में जो जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया है। इसमें वो लाफार्ज द्वारा है हमारे ग्राम पतैईडीह के जो भी कार्यक्रम है उपस्थित रहे।

4. **श्री राणा सिंह, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, ग्राम– सेमराडीह**:– जन सुनवाई का आयोजन रखा गया है। जन सुनवाई के माध्यम से लोगो के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनते है और निराकरण करते है। लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. इस कार्य के मामले में सबसे अग्रणी कंपनी है। जो सामुदायिक सेवा के क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों मे अग्रणी रही है। हमें यह जानकर खुशी होती है। छत्तीसगढ़ सीमेंन्ट के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में उसका तीसरा स्थान रहा है। इस भूमिका के लिए वास्तव में लाफार्ज इंडिया तारीफ के काबिल है। एक सर्वे के द्वारा हमारे क्षेत्र में भी बहुतायत में चूना पत्थर खदान होने का पता चला है और सरकार ने लाफार्ज इंडिया को इस कार्य के लिए मौका दिया है। हमे भी मौका मिला है कि छत्तीसगढ़ के अग्रणी होने में एक छोटी सी भूमिका निभायें। चिल्हाटी क्षेत्र में लाफार्ज इंडिया प्रोजेक्ट का स्वागत करना चाहिए। लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. के आने से इस क्षेत्र में विकास निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में संभावित है एवं लाफार्ज इंडिया द्वारा अपनी उपस्थिति कई क्षेत्रों मे दर्ज कराई गई है जैसे–चिकित्सा के क्षेत्र में पतईडीह और जैतपुरी में क्लीनिक खोला गया है और इसके अलावा चिकित्सा शिविर लगाये है और उच्च स्तर के चिकित्सा अधिकारी वहां पर उपस्थित हैं और यहां के लोग लाभांवित हुये है। इसके आलावा उन्होनें कई ग्रामों में चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया है जिससे लोग लाभांवित हुए है। इसके

अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी भूमिका हम लोगों को नजर आती है स्कूल भवनों को देखे तो पोताई के माध्यम से बच्चो को आकर्षित किया गया है और बच्चों की संख्या बढ़ी है वहां पर उनकी उपस्थिति दर्ज की गई। इसके अलावा स्कूल में बहुतायत सामाग्रियों का वितरण एवं खेलकूद का आयोजन तीनों गांवों में करवाया गया है, और खेलकूद आयोजन अन्य गांवो में करवाने की इनकी महत्वाकांक्षा रही है। जितने भी प्रभावित गांव हैं उन गांवों में बोरवेल, हैण्ड पंप लगाया गया है ताकि गांवों में पेय जल की व्यवस्था हो सकें। लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. कंपनी के आने से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे इस क्षेत्र में जो पलायन की प्रवृत्ति है उस पर हम काबू पा सकते है। इसके अलावा हमारे व्यवसायिक कार्यों में प्रगति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी किसी भी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में एवं रोजगार संबंधी पाठ्यक्रमों में लाखों रूपयों का स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है। ताकि यहां के युवा रोजगार प्राप्त कर सके और उन्नति की शिखर को प्राप्त कर सके। इसके अलावा पर्यावरण एवं सडकों का रख रखाव आसपास के क्षेत्रों में लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. के फैक्टीयों द्वारा की जाती है। जैसे सोनाडीह वहा सड़कों का रख रखाव किया गया है जो तारीफ के काबिल है। इन सब से यह सब से पता चलता है। लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. कंपनी के आने से सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। हम इसका स्वागंत करते है।

5. **श्री राजेन्द्र प्रसाद धृतलहरे, ग्राम– बिनौरी**:– हमारे आस पास के क्षेत्र में जंगल झाडी बिहड़ है वहां अभी जो खदान खुलने वाला है वो विकास के लिए वरदान के रूप में साबित होगा। आज मुझे 45 वर्ष हो गये इस बंजर जमीन को ऐसे ही देख रहा हूँ। यहां पर न किसी प्रकार का उत्पादन होता है न और कुछ है। यहां बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ती भूमि है। अगर यहां विकास हो रहा है तो जो युवा बच्चे है उनाको रोजगार मिलेगा। साथ ही क्षेत्र का विकास होगा। बेरोजगारी दूर होगी और ऐसे कंपनी के माध्यम से हमारे जो आई.टी.आई करने वाले पढे लिखे शिक्षित बच्चे हैं उनको अच्छे से प्रशिक्षण मिलेगी एवं इंजीनियरिंग करके वे अपने परिवार और अपने समाज को विकास की ओर ले जायेंगे। भदौरा कांड में वास्तविक रूप से जिसका जमीन निकला है उसके उचित मूल्यांकन उपरांत शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा के रूप उद्योग द्वारा उचित राशि दिया जाना चाहिए। साथ ही उनके परिवार के सदस्य को रोजगार मिलना चाहिए। जिसके प्रति हमारा समर्थन है। समाजिक क्षेत्र में कंपनी से सुझाव है कि पढे लिखे बच्चो के लिए समय–समय पर अच्छे प्रोग्राम रख कर सम्मानित किया जाना चाहिए एवं नवयुवकों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आज सांस्कृतिक क्षेत्र में जाकर देखिए तीजन बाई जैसे कितने बड़े–बड़े गाईका है जैसे शांति बाई पचपेडी में पढ़ी है। लेकिन क्षेत्र में औद्योगीकरण नहीं होने के कारण शांति बाई दब के रह गईं। भिलाई स्टील के माध्यम से श्रीमती तिजन बाई द्वारा विश्व भ्रमण करने के साथ पद्मश्री से अलंकृत हुई। लाफार्ज इंडिया प्रा.लि. से निवेदन है कि अच्छे कलाकारों को

प्राथमिकता देकर उनको प्रतिभा निखारने का मौका दे। जिससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा और हमारे क्षेत्र में कई कंपनी खुले।

6. **चंदराम बर्मन, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत –पतईडीहः–** लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. के द्वारा ग्राम पंचायत पतैईडीह के आश्रित ग्राम– जैतपुरी, समराडी में जो जमीन खरीदी किया जा रहा है वो दलालो के माध्यम से किया जा रहा है। कंपनी व प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि उन जमीनों को कंपनी के माध्यम से खरीदा जाये। उचित मूल्य जैसे हमारे नरियरा साईड में जो प्लांट खुल रहे हैं उस क्षेत्र में जो मुआवजा मिल रहा है वैसी ही मुआवजा यहां के किसानों को भी मिलना चाहिए, और हमारे क्षेत्र, पंचायत एवं आसपास के छात्र जो बेरोजागार हैं उन लोगों को उनके योग्यतानुसार रोजगार मिलना चाहिए। लाफार्ज इंडिया प्रबंधन से निवेदन है कि आपके द्वारा जो एमओयू किया गया है शासन के माध्यम से कंपनी के द्वारा हमारे ग्राम पंचायत को भी उसका 1 कापी उपलब्ध करायें। लाफार्ज इंडिया कंपनी का स्वागत करते है।

7. **श्री जिधन कुमार निर्मलकर, ग्राम– पतैईडीहः–** जिन–जिन किसानो का भूमि अधिग्रहण लाफार्ज में आ रहा हैं उन सभी किसानों को जमीन की उचित मुआवजा मिलना चाहिए एवं उनके घर के एक व्यक्ति को स्थाई रूप से नौकरी मिलना चाहिए। इसके अलावा लाफार्ज इंडिया कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत–पतईडीह के लिए कुछ भला करना चाहते है तो ग्राम–पतैईडीह में इष्टदेवी मां पताईदेवी मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए एवं तलाबो में नलकूप खनन कर के पानी भरा जावे। इसके अलावा गांव में सडक निर्माण करना चाहिए। मुख्य तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जमीन का उचित मुआवजा कम से कम 40 से 50 लाख रूपये प्रति एकड दिया जायेगा तभी हम कंपनी का समर्थन करेंगे नहीं तो विरोध करेंगे।

8. **श्री बीर. आर. साहू, ग्राम–पचपेड़ीः–** हमारे क्षेत्र में लाफार्ज सीमेंट कंपनी द्वारा माईनिंग प्रोजेक्ट लाने से स्थानीय लोगों को रोजगार संबंधी तथा अन्य संभावित जीवन उपयोगी सुविधा देने के प्रस्ताव के लिए मैं और यहां के मेरे साथी कंपनी प्रबंधन को धन्यवाद देते है। यह सत्य है कि किसी क्षेत्र के समग्र विकास लिए उद्योगो को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। जिससे स्थानीय क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के द्वार खुलते है तथा हम जैसे साधारण लोगो को जीने के लिए एक नई रोशनी मिलती है। मानव जाति को जीवन जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान लेकिन इसमें दो और शब्द और जुड़ जाये तो बेहतर हो जाता है वो है शिक्षा और स्वास्थ। कंपनी के द्वारा जो शिक्षा संस्थान है उसको बढ़ावा दिया गया है कुछ सुविधायें दी गई है। स्वास्थ्य सुविधा भी दी गई है। स्वास्थ्य सुविधा के तहत् मैने देखा कि ग्राम जैतपुरी व पतईडीह में इनका स्थाई रूप से क्लीनिक है जो सभी ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा देते

है। सबसे महत्वपूर्ण काम मैं समझता हूं यहां पर ग्रामीण क्षेत्र के गर्भवती महिलाओं को जो स्वास्थ्य सुविधा दिया जाता है वो तारीफे काबिल है। क्योंकि महिने में 01 दिन कंपनी के द्वारा महिला चिकित्सक के माध्यम से उनकी जांच स्वास्थ्य सुविधा और खून पेशाब की जांच उपरांत उनकी जो आवश्कतानुसार उनकी दवा निशुल्क प्रदान किया जाता है। जब डिलवरी के दौरान 108 नंबर को कॉल कर गाडी को बुलाकर सुविधा का लाभ लीजिए। शासन द्वारा जो राशि मिलता है और अस्पतालों से जो स्वास्थ्य सुविधा मिलता है उसका भरपूर लाभ मिले। इसके लिए कंपनी के द्वारा भरपूर सहयोग किया जा रहा है। ये तारीफे काबिल है। इसके अलावा हमारे ग्राम चिल्हाटी में 5 मई से 8 मई तक गायत्री परिवार के द्वारा एक संस्कार कार्यक्रम चलाया जावेगा। उनके स्वास्थ सुविधा से प्रभावित होकर कंपनी से अनुरोध करता हूँ कि उक्त दिवस में स्वास्थ्य सुविधा के लिए कम से कम का 01 दिन का कैम्प लगाने का कष्ट करेंगे।

9. **श्री राजेश कुमार कुर्रे,** :– आज हम शिक्षा एवं स्वास्थ्य शासन की योजना से ले लिए आज ये लाफार्ज इंडिया कंपनी देना चाहती है तो हमे क्या लाभ मिलता है ये हमे सोचना चाहिए। क्या हमारे क्षेत्र के किसानों को उचित मुआवजा मिला? या इस क्षेत्र के युवा नव जावानों को उस कंपनी में नौकरी मिला? तो कैसे नौकरी मिलेगा ये तो ओपन कास्ट माइन है। क्या यहां पर कंपनी लगाई जा रही है? दूसरी बात ये है कि ये चार पांच गांव के क्षेत्रफल को ही नहीं लांघता है ये तो हमारे गांव को लांघते हुए गाड़िया दौड़ाई जायेंगी लाफार्ज कंपनी तो वहां प्रदूषण को कौन संभालेगा? क्या लाभ होगा। मैं कंपनी या प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के पर्यावरण और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमारे हित में जो यहां कार्य हो उसको हमारे हित के तहत् करने की प्रयास करेंगे। दूसरी बात है हम शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा सरकार से ले लेंगे। लेकिन कंपनी हमारे बेरोजगारों एवं किसानों को क्या दे रही हैं ? जब कंपनी खुलती है तो बिहार, उत्तर प्रदेश से लोग आकर भर जाते हैं। हमको बाहर निकाल दिया जाता है। उस स्थिति में क्या हमको नौकरी दिया जायेगा? क्या इस क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को उस कंपनी में नौकरी दिया जावेगा? ठीक है हम और हमारे क्षेत्र के लोग इस कंपनी से बेदखल है मगर आज हमको देखना है कि हमारे क्षेत्र में कंपनी लगाई जा रही है तो हमारे क्षेत्र के युवाओ एवं बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है क्या? उन किसानों को पर्याप्त मात्रा में मुआवजा मिल रही है ये हमको देखना है मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूँ और अधिक से अधिक संख्या में नौकरी और सुविधा दे।

10. **श्री लक्ष्मण कांत, ग्राम– मल्हार**:– लाफार्ज कंपनी के द्वारा हमारे मस्तूरी विकास खण्ड के अन्तर्गत पतैईडीह ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम– जैतपुरी में कार्यक्रम रखकर बहुत अच्छा काम किया है। इमसें मैं इतना ही मांग करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, पेयजल, पर्यावरण और इस क्षेत्र के किसानों का जो जमीन जैसे भदौरा कांड हुआ है दोहराया न जाये। यह ध्यान

रखे कि जो 22 बिन्दु में हकीकत में वही किसान है या दलाल है और जिन किसानों का जमीन अधिग्रहण किया जायेगा उसको कंपनी के द्वारा सीधे उचित मुआवजा दिया जाये। न कि दलाल के माध्यम से।

11. **श्री सुधीर सिसोदिया, ग्राम–मुरलीडीह**:– मैं इस जन सुनवाई में जो प्रस्तावित परियोजना है उसका घोर विरोध करने यहां पर आया हूँ। कई लोगो से सुना, प्री–प्लान है, ये सब कंपनी कहां के हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के बच्चे है, संतान है। यहां पर उपस्थित लोगों में कोई व्यक्ति ये बता दे कि किसी भी उद्योग से किसी किसान या गांव का विकास होते देखे हों, कोई भी बता दीजिये। ये केवल आपकी बर्बादी करके ये कंपनीयां फलती फूलती हैं। हमारे अकलतरा के पास नरियरा गांव में भारत का सबसे बड़ा प्राईवेट सेक्टर का पॉवर प्रोजेक्ट लग रहा है जिसको वर्धा पॉवर प्लांट के नाम से जानते हैं इसका सही नाम के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी प्रा. लि. है। 3600 मेगावाट इसकी लागत करीब 20000 करोड़ हो गई है। आज वहां के किसानों को जाकर देखिए वहां जब जनसुनवाई हुई थी तब इसी तरह का वातावरण था। उसके समर्थन में बहुत सारे किसान खड़े थे। उनको लग रहा था कि हम और हमारे बच्चे बहुत खुशहाल रहेंगे और हमारे भविष्य उज्जवल होगा। आज भीख मांगने की नौबत हो गई है वहां के किसानों की । बहुत सारे किसान आपके समर्थन में आये है आपको बताने के लिए आये हैं इनके बहकावे में मत आवें किसान भाईयों अभी कुछ नहीं बिगडा है। 03 साल बाद आप इसी जगह पर हड़ताल करते नजर आयेंगे। फैक्ट्री के गेट में नहीं घुस पायेंगे आपको लाठी डंडे खाने पडेंगे। केवल वर्धा, नरियरा वहां के 10 गांव की बात नहीं कर रहा हूँ पूरे जांजगीर जिले को देखिए उस जिले की क्या बर्बादी हो रही है। उस जिले की किसानों की क्या बर्बादी हो रही है। उसकी गांवों की क्या बर्बादी हो रही है। यहां आबाद करने से पहले उनकी बर्बादी को देखिए। वहां की जो सच्ची कहानी है वहां जा करके देखिए। ये आपको कुछ नहीं देने वाले है ये आपको केवल लूटने आये है और लूटेंगे। अगर आप बहकावे में आके ये ठान लिये है कि इस कंपनी का समर्थन करेंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम यह जानने की कोशिश किये हैं कि यह प्रोजेक्ट है क्या? यहां केवल विनाश हो रहा है। मैने लिखित में आपत्ति यहां पर प्रस्तुत कर दिया है। इस आपत्ति का निराकरण करें, इसके बाद ही ये जन सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भारत के संविधान के अनुसार ये लिखा हुआ है कि भारत के हर नागरिक को जब भी जनसुनवाई हो अपनी बात कहने का संवैधानिक अधिकार है। आप क्या बोलेंगे, जब आपको मालूम हो प्रोजेक्ट के बारे में तब तो आप लोग उसका विरोध या समर्थन करेंगे। क्या आपको मालूम है कि कितना पत्थर निकलेगा; जिसकी जमीन जा रही है उस आदमी के परिवार को कौन सी नौकरी मिल रहीं है? कलेक्टर दर से पेमेंट करेंगे। आपको मंजूर है क्या ये? यही देने वाले हैं किसानों को वो भी सीधे कंपनी में

नहीं मेरे यहां के ठेकेदार के यहां काम करना पडेगा बोलते हैं। ये छोटी कंपनी होगी मैं तो बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं। जो किसान अन्नदाता था अपने क्षेत्र में वे आज मजदूर बन गये है, 4000 या 4500 की नौकरी करता है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर को वेतन 5600 और उसी कंपनी में हैदराबाद का एक कंप्यूटर ऑपरेटर आता है उसकी वेतन है 14500 मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं किसान भाईयो सोंच लीजिए आप अपने भविष्य को खराब नहीं करें। ये जनसुनवाई है उसकी सारी सूचनाये जनता को उपलब्ध कराये जाने चाहिए। जब आपके पास सूचनाये ही नहीं है। आप अपनी राय क्या बनाओगे? आप वही बोल रहे है जो किसी ने आपको सिखा दिया गया है या हो सकता है आज 10 लाख बहुत ज्यादा लग रहा हो ये कुछ नहीं है। ये 50 लाख दे देंगे तो भी कुछ नहीं है। मेरी पहली आपत्ति ये है कि जनता को ये सारी सूचनाये उपलब्ध कराई जायें। जन सुनवाई को स्थगित किया जाये। फिर जन सुनवाई कराई जाये। तभी आगे इसका पालन होगा संविधान का पालन होगा अन्यथा यह पूरी जन सुनवाई अवैधानिक है इसका पालन नहीं करेंगे तो मै हाईकोर्ट में चैलेंज करूंगा। मैने जो आवेदन दिया है उसको पढ़ लें। अभी लाफार्ज के पास पर्याप्त जमीन है, जिसमें पर्याप्त लाईम स्टोन है। वो अभी कम से कम 10 साल चलने वाला है उसको वास्तव में अभी लाईम स्टोन खदान की जरूरत नहीं है तो ये क्यो ले रहे हैं? जब जरूरत होगी तब लीजिए। ये कब्जा करना चाहते है रेमण्ड को खरीद लिया, टाटा को खरीद लिया । होशियार हो जाईये। इनके द्वारा यहां जो लगभग 3000 एकड़ जमीन की मांग कर रहे हैं जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट है वो अनुचित है, अनावश्यक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे संसाधनो का दुरूपयोग है और जो इसका साथ देंगे वो अपराधी कहलायेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे छत्तीसगढ़ में आदर्श पुनर्वास नीति 2007 लागू है बाद में उसमें संशोधन हुआ है हमारे मुख्यमंत्री का इस पुनर्वास नीति के बारे मे कहना है कि भारत की सवश्रेष्ठ पुनर्वास नीति है। इस प्रकार की पुनर्वास नीति किसी भी राज्य में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान भाईयों पुनर्वास नीति केवल कागजो में है उसका पालन कहीं नहीं हुआ है। पुर्नवास नीति पढ़ने के लिए है आपको कापी दी जाती है आप पढ़के बहुत खुश होते हैं। अरे वाह ये तो हमारे विधाता हो गये। होने वाला कुछ नहीं है। मैं कंपनी से पूछना चाहता हूँ कि पुनर्वास नीति के अंतर्गत कोई पुर्नवास योजना बनाई गई है क्या? जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही तब होगी जब पुनर्वास योजना का प्रकाशन हो जाये, वो जारी हो जाये। कोई किसान जब अपना जमीन दे रहा हो तो उसे मालूम होना चाहिए कि उसको या उसके बच्चे इस कंपनी या कोई भी कंपनी में कौन सी नौकरी मिलेगी, कितनी वेतन मिलेगी उसके रिटायरमेंट के बाद उसको क्या सुविधा मिलेगा जो भी पेंशन हैं प्रोविडेंट फन्ड है सारी जानकारी होनी चाहिए। किस बात की जानकारी में आप इसका समर्थन कर रहे है अगर पुर्नवास योजना नहीं है तो ये जनसुनवाई हो कैसे रही है? भूमि अधिग्रहण हो कैसे रहा है? ये इसी नीति के विरूद्ध है। उसमें पुर्नवास नीति है तो पेश करिये हमारे

जनता को। पुर्नवास नीति में खास करके खनन परियोजनाओं के लिए साफ लिखा है किसी किसान की एक डिसमिल भी जमीन जाती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देना पड़ेगा। ये आपको गेट के अंदर घुसने नहीं देंगें। आप आंसू बहाकर रोने लगेंगे। सच्चाई को समझ जाईये किसान भाईयो। आप इनसे पूछिये अगर आप जमीन देना ही चाहते है तो हमें कौन सा रोजगार देंगे। ये जन सुनवाई पूरी तरह से अवैध है। ये निजि परियोजना है। इसका लाभ सरकार के खजाने में नहीं जाना है। जिससे किसी गांव वालों का शहर का कुछ विकास हो। सारा पैसा चला जायेगा बाहर विदेशों में आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। किसान भाईयों जो जगह संपत्ति जा रही है तो विरोध कीजिए। यदि आपके प्रदेश में इस प्रकार की किसी संपत्ति को कोई क्षति पहुंचाई गई हो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। जानवर मर रहे है एक्सीडेंट हो रहे है। उनका कोई माई बाप नहीं होता। ये हालत आपके क्षेत्र में भी निश्चित रूप से होगा। इससे प्रदेश का नुकसान होना है। मैं भी एक किसान हूं।

12. **श्री मदन लाल टंडन, ग्राम–रहटाटोरः**– – आज बिना सूचना, बिना जानकारी, बिना मुनादी के इस जैतपुर गांव में जन सुनवाई रखा गया है। इसका मै घोर विरोध करता हूँ। किसी भी गावं में चाहे वो जैतपुरी का हो चाहे मनवा का हो चाहे कोकड़ी चाहे खपरी, कुकुरदी का हो जो भी गावं है किसी भी गांव में मुनादी नहीं कराई गई है। पीठासीन अधिकारी जो बैठे है इस बात को नोट करें। मैं बताना चाहता हूं कि ये जनसुनवाई क्यो रखी जाती है और किस लिये रखी जाती है। हमको मालूम है पेपर के माध्यम से यहां पर 6–7 सीमेंट फैक्टी या प्रा. लि. को जो जमीन आंबटन करने की बात कही गई है। वो बाद की प्रकिया है एमओयू या आबंटन करने के पहले हम किसानो को सहमति नही ली गई है। इसलिये ये जन सुनवाई पूरे तरीके से अवैध है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए मेरे किसान साथियों जन सुनवाई की प्रकिया क्या है? इस जन सुनवाई में कौन –कौन बोल सकते है और कौन नहीं ये पीठासीन अधिकारी और लाफार्ज के लोग समझ रहें है। सबको मालूम है। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। हमारे लोगो को रात में खरीद कर पैसे बांटकर हमारे ही बीच में लड़ाने की कोशिश कर रहें है। इसका ध्यान रखो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं ये भारत में है ये कंपनी विदेशी है। हमारे आदमी को लड़ने आ गये आज हमारे भाई मुरलीडीह के उस समस्या को झेल रहे है और उन लोग अभी तक क्या खोये हैं। जितने लोग समर्थन में बोलने की कोशिश कर रहे है। उनकी क्या स्थिति है आप लोग समझ रहे है। मैं जानता हूँ कि आज चिल्हाटी में सीमेंट प्लांट खोलने की बात पेपर छपी थी तो सबसे पहले विरोध मेरे द्वारा किया गया था। हमको मालूम है कि सीमेंट कारखाना यहां नही खोला जायेगा। फिर हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे है? खदान खोलने की बात बोल रहे है। सीमेंट कार्पोरेशन लिमि. की स्थापना यहां पर नहीं खोली जायेगी मुझे मालूम है लाफार्ज सीमेंट गोपालनगर में टाटा सोनाडीह में उसको खरीद लिया है। ये इतनी बड़ी

कंपनी है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जितनी सीमेंट कंपनियां है उनको खरीद लेगी और इसलिए इस चिल्हाटी क्षेत्र में आज सीमेंट कंपनी खोलने के नाम से धोखा देकर जमीन खरीदी जा रही है। हमारे लोग बिना जाने समझे अपने खेतों को बेचते जा रहे है आपको मालूम है उसी खेत से हमारे दादा परदादा हमको पढ़ा लिखा कर एवं आज उसी खेत से हमको बड़ा किये उस दिन को भूल गये हो, जिस मिट्टी से हमारे पूरे परिवार का आज हम जिस स्थिति में जी रहे है उसी खेत की देन है। आज इस सीमेंट कंपनी से जितना पैसा ले रहे हो एक दिन में इतनी क्लिंकर, इतना पत्थर खोदकर बेच देगा कि आपकी दादा परदादा की मेहनत की कमाई है एक दिन में उनको पैसा मिल जायेगा। स्कूल को पोतवा दीया लाफार्ज लिख दिया तो इतने में गांव का कल्याण हो गया। आप लोग समझने की कोशिश करो। ऐसे लोग को गांव में घुसने क्यों दिये? आप लोग। इसके जिम्मेदार आप सब लोग है। ये हमको सिर्फ दिखावा, छलावा दे रहे है। कौन आदमी बोल सकता है कितना समय तक बोल सकता है। आज ये जनसुनवाई अवैध है इसको आज निरस्त किया जाये। आप लोग कोई मत बोलो और जो बोलेगा उसका हम विरोध करेंगे। चिल्लायेंगे, चीखेंगे। क्यो हमको सूचना नहीं दी गई? क्यों हमारे गांव में मुनादी नहीं कराई गई? नहीं तो मै यहां से नहीं हटूंगा। 16.07.2008 को हम लोगों ने चिल्हाटी में धरना प्रदर्शन लगाकर कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया था। जिसकी आज तक कोई सूचना या जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद हमने राज्यपाल के नाम से भी ज्ञापन दिया है। उसकी भी आज तक कोई जानकारी नहीं आई है। तहसीलदार मस्तूरी को भी ज्ञापन दिया है उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई हमें कोई जानकारी नहीं है। अंत में यहां के मुख्यमंत्री को भी हमने ज्ञापन सौंपा है। उसी ज्ञापन की प्रति भी हमने रायपुर डिसेंट समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया था। उक्त प्रकाशित समाचार पत्रों में विस्तृत जानकारी का उल्लेख किया गया है (उसे पढ़ कर जनसुनवाई के दौरान सुनाया गया।) आप लोग सब जानते हैं आज लाफार्ज कंपनी यहां पर सिर्फ खदान खोलना चाहती है। यहां से सिर्फ पत्थर तोड़कर या तो गोपालनगर या गोडाडीह में लेजाकर क्लिंकर या सीमेंट बनाने की कोशिश करेगा। जनसुनवाई में उपस्थित सभी लोग सुन ले कि हमारे पूर्वज पहले भी किसान थे पहले भी मिट्टी खोदते आये है पत्थर तोड़ते आये हैं। आज यहां ऐसी स्थिति में जो खदान खोलने के लिए जमीन ली जाती है तो ऐसे खदान के लिए हम अपनी जमीन नहीं देंगे। आज के बाद इस जनसुनवाई को खत्म कर देना चाहिए। हमारी पुरानी मांग थी यहां पर सीमेंट कारखाना खोला जाये। लाफार्ज इंडिया जैसे कंपनी को खदान आबंटित करके हमारे क्षेत्र को मरूस्थल नहीं बनाना है प्रदूषण युक्त नहीं बनाना है। हमारे आने वाली संतानों को, परिवारों को बिमारियों के घर में नहीं ढकेलना है।

13. **<u>श्री प्रवीण पटेल, डायरेक्टर, ट्रायबल वेलफेयर सोसायटी</u>** :– पहले तो हम ये जाने कि लाफार्ज कंपनी है क्या? ये विश्व की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादन कंपनी है और उन्होंने

भारत में अरसमेटा का सीमेंट प्लांट में जो जे.के. सीमेंट का प्लांट जो 1982 में स्थापित हुआ उसे सन 2000–01 में खरीदा और सोनाडीह का भी प्लांट उन्होने खरीदा और प्लांट खरीदने का कार्य उनके द्वारा चल रहा है। 5.5 मिलियन टन भारत में जो उनका उत्पादन है उसको 20 मिलियन टन या करीब 2 करोड टन तक ले जाने की प्लानिंग है। इनको माईनिंग के लिए लाईम स्टोन कहां से मिलेगा। प्लांट तो इन्होने लगा दिया एवं ग्राइंडिंग यूनिट लगाया गया। मगर उनके पास एक माईन नहीं है। खदान छत्तीसगढ़ में खोलेंगे यहां से निकालकर उसको अपने प्लांट में ले जाकर क्लिंकर बनायेंगे और क्लिंकर को दूसरे राज्यों में बेचेंगे। वहां पर सीमेंट बिक्री होगा सेल टेक्स का लाभ दूसरे राज्यों को मिलेगा। जमीन बर्बाद होगी तो हमारी छत्तीसगढ़ की होगी। पर्यावरण बर्बाद होगा तो हमारा छत्तीसगढ़ का होगा। पानी की तकलीफे बढ़ेगी और किसानों की मुशकिलें बढ़ेगी सब कुछ छत्तीसगढ़ में होगा। कंपनी प्रबंधन बोल रहें हैं कि 300 लोगों को काम देंगे पहले ये इनसे लिस्ट मांगे कि ये 300 लोग हैं कौन और क्या काम कर रहें है? पता चला कल हम लोग यहां से चले जायेंगे और दूसरे काम करने वाले लोग यहां आकर तमाशा कर रहे है और हमें आपस में लड़ा रहे है। अब मैं कॉन्ट्रेक्ट वर्कर की बात कर रहा हूँ उनकी वेतन की बात कर रहा हूँ। कंपनी द्वारा न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी जिसमें परिवार कैसे चलेगा। सीमेंट फैक्टरी से जो डस्ट, धूल, कचरा उड़ता है वो फेफड़ों में जमा होता है उसको निकालने में खर्चे होते हैं दवाई के भी खर्चे होते हैं और आदमी की जिंदगी 05 साल कम हो जाती है। इसलिए उनको ज्यादा पैसे दिये जायें । इनको सिर्फ अपनी मुनाफा की परवाह हैं। कंपनी में काम करने वाले आदिवासियों की जमीन ली गई थी। उसकी परिमिशन नहीं ली गई थी । रमेण्ड कंपनी को जब लाफार्ज कंपनी ने लिया है। आज सिर्फ 300 लोग हैं 700 लोग कंपनी में जो रिटायर हो गये है। वो खुद फैसला कर सकते है। वहां पर एकदम घना जंगल था काट के साफ कर दिया। यहां पर सबसे मुख्य बात रायल्टी की है। आरसमेटा के अंदर इन्होंने जब खदाने खोल कर वहां से लाईम स्टोन निकाल रहे हैं तो इसका भुगतान कैसे होगा? रायल्टी का भुगतान कंपनी देती है और रिपोर्ट करती है कि हमने कितना टन माल यूज़ किया कितना माल कन्ज्यूम किया। कंपनी के द्वारा मॉल यूज के उपर रायल्टी सरकार को दिया जाता है तो कंपनी द्वारा सरकार को रायल्टी का चूना भी लगा दिया है। उन्होंने आवासीय कालोनी बनाई, रोड बनाई और अन्य कार्य भी किये वहीं सब गिट्टी खदान खोदकर कोई रायल्टी नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ के उद्योग विभाग से रेमण्ड सीमेंट के लिये दी गई थी उसके प्लांट से लेकर रेल्वे साईडिंग के कनेक्शन हेतु रोड के लिए, जो इनके प्रोजेक्ट का एक और नमूना है। उस जमीन अंदर जब लाईम स्टोन मिला तो रोड बनाना तो दूर की बात है पूरी की पूरी जमीन खोदकर उसमें से लाईम स्टोन निकला और आज भी वो जमीन वहां पर लाईम स्टोन निकली हुई पड़ी है। दूसरे कंपनी के खदान खोलने का तरीका होता है इनका काम घटिया तरीके का लाईम स्टोन मिलने पर उस जगह को छोड़कर

जहां अच्छी किस्म का लाईम स्टोन मिलती हैं वहीं दूसरी जगह चलें जाते हैं। जहां अच्छी चीज मिले उसी को वो ले लेते हैं। इस प्रकार हम अपनी जमीन देते गये तो हमारे और कानून के साथ धोखा है। हम तो किसान हैं किसान ही रहना है।

14. **श्री नरसिंह भार्गव, ग्राम– विद्याडीह** – आज जैतपुरी गांव में जनसुनवाई रखा गया है लाफार्ज कंपनी ओर से साथियों कंपनी द्वारा जो गांव प्रभावित हो रहे हैं उन गावों के जनता को किसी प्रकार से कोई सुचना नहीं दी गई है। यह सबसे बड़ी शर्मनाक बात है इस बात को कंपनी प्रबंधन को समझना चाहिए कि सबसे पहले गांव में मुनादी कराना चाहिए। ताकि उनको ये जानकारी हो कि अमुख तारीख में हमारे जमीन के संबंध में सुनवाई होगी। ताकि हम अपनी बात कर सकें और हम सभी कृषक अपनी बात रख सकें। हम किसानो का सब का उदेश्य एक होना चाहिए यदि हम कंपनी नहीं लगाना चाहते हैं हम सब इस लाफार्ज कंपनी का विरोध करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मुरलीडीह हमारे क्षेत्र में जरूर नहीं है लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में है, भारत में है कोई विदेश में नहीं है। अगर क्षेत्र वो कहीं की हो परिक्षेत्र के दायरे से देखे तो यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जमीन नहीं आ रहा उनकी जरूरत नहीं है यहां। उसके बावजूद भी यहां आकर ये कहते हैं कि हम यहां के हैं।

15. **श्री राज कुमार अंचल, ग्राम– टिकारी** – मस्तूरी क्षेत्र के किसानों और कंपनी के अलावा यहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां पर अपनी पक्ष रखता है और कंपनी और किसान तथा शासन के बीच में बहकाने की कोशिश करेगी तो ये मस्तूरी क्षेत्र की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज क्षेत्र की समस्या, किसान की समस्या, प्रभावित व्यक्ति की समस्या हम आपस में अपना पक्ष रखेंगे और शासन की ओर से कंपनी के पास रखेंगे। यदि कंपनी उस बात को मान्य करेगा तभी यहां प्लांट खुलेगा अन्यथा प्लांट का विरोध अंतिम क्षण तक जारी रहेगा। मेरा यह सुझाव है कि प्रभावित किसान/उसी व्यक्ति को उचित मुआवजा मिलनी चाहिए, जिसकी जमनी खरीद गई है। उस जमीन का मुआवजा बीच में घुसे बिचौलिये को नहीं मिलना चाहिए। किसान को डायरेक्ट मिलना चाहिए। प्रभावित किसान के परिवार को स्थायी रूप से रोजगार मिलना चाहिए और प्रभावित परिवार के सदस्य को कंपनी के तरफ से आजीवन पेंशन मिलना चाहिए मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ। क्षेत्र की जनता ये सोचिए सिफ 1 पॉवर प्लांट खुला है मानिकचौरी में वहां सिर्फ एक जीवनदायिनी सड़क है उसकी क्या स्थिति है? आज मस्तूरी क्षेत्र में 6–6 कंपनियां खुलेगी तो हमारी रोड की क्या स्थिति होगी? इसकी शासन क्या जिम्मेदारी रखते है हमारे जनता के लिए पूरे जनता को बताये। जो रोड की समस्या है उसके बारे में स्पष्ट रूप से आज जनता को बताये, दूसरी बात एक कंपनी खुला है वो अपना एरिया निर्धारित बाउड्रीवॉल बनाकर उसमें जितना जमीन है उसी का मुआवजा दिया है। उसके अतिरिक्त सौकड़ो एकड़ हमारे किसान की जमीन

आज धूल और धुंआ से बंजर हो चुका है। इसके जिम्मेदार कौन हैं? तो ऐसे प्लांट यदि हमारे मस्तूरी क्षेत्र में खुलता है तो आक्सीजन के प्रदूषित होने के सिवाय हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमे सोचना है और सजग होना है कि जब तक हमारे सभी व्यवस्था को शासन निर्धारित नहीं करता तब तक हम मस्तूरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पॉवर प्लांट खुलने नहीं देंगें। अंतिम क्षण तक हम विरोध करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, चाहे गोली क्यो न चल जाये?

16. **श्री राजेश्वर भार्गव, जिला पंचायत सदस्य, मस्तूरी:–** अगर कहीं खदान की जगह में सीमेंट प्लांट लगता तो यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता। अगर इस क्षेत्र के किसान जमीन को नहीं बेचेंगे तो इनके द्वारा जमीन कहां से प्राप्त किया जायेगा। यह किसान को निर्धारित करना है और किसान को समझना है। कंपनी को सार्वजनिक करना चाहिए कि उसका उचित दर क्या है। कंपनी सीधे किसान से जमीन खरीदे। उस जमीन को चिन्हांकित करें, जिससे अन्य क्षेत्रों की तरह फर्जीवाड़ा न हो, और किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा दे। विधानसभा एवं मंत्रालय द्वारा घोषित किये गये किसानों के लिए 15000 /– प्रतिवर्ष पेंशन कंपनी को देना चाहिए, जिसका कंपनी से मै मांग करता हूँ। हमारे क्षेत्र में अगर प्लांट या खदान खुलता है तो सबसे पहले जिस गांव के किसान का जमीन प्रभावित हुआ है उस किसान परिवार के सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार स्थायी नौकरी कंपनी को देना सार्वजिनक करना चाहिए। क्षेत्र के अलावा बाहरी लोगों को यहां पर प्लांट या खदान में नौकरी न दी जाये। क्षेत्रीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाये। जहां खदान या प्लांट खुलता है और जो गांव प्रभावित होता है उस गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली एवं सडक की सुविधा ये कंपनी की जिम्मेदारी है ये जन सुनवाई की माध्यम से सार्वजनिक होना चाहिए। हमारे इस क्षेत्र में जितने भी खेतीहार जमीन हैं उसमें लगे वृक्ष कटता है उस वृक्ष के बदले में हर गांव में हरियाली के लिए पहले वृक्षारोपण किया जाये। अगर हमारे मांग को कंपनी मानती है तो यहां की जनता कंपनी की उज्जवल भविष्य की कामना करती है। यदि नहीं मानती है तो हम इनका घोर विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। यहां हमारे क्षेत्र के लोग एवं किसान ही यहां पर अपना प्रस्ताव रखें क्यों कि इस क्षेत्र के लोगों का दु:ख दर्द यहां के लोग समझते हैं न कि बाहर के लोग समझते हैं। पानी, बिजली की जो जरूरत है वो अगर न मिले तो हम दूसरे क्षेत्र नहीं जायेंगे वहां बताने कि हमे पानी, बिजली आदि नहीं मिल है। हमारे इस क्षेत्र के कार्यकर्ता, किसान, और नेता है उनके पास जकर बोलेंगे कि हमाको पानी, बिजली नही मिल रहा है, सड़क खराब है। तो हम ही लोग तो आंदोलन करेंगे। क्या बाहर के लोग आयेंगे? बाहर के

लोग नहीं आयेंगे। क्षेत्र की समस्या और परेशानी क्षेत्र की जनता और किसान बोलेंगे। बाहर के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है।

17. **श्री उमाशंकर मधुकर, ग्राम–पचपेढ़ी** – हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा जमीन घोटाला हुआ है जो आप सब जान रहे है। और यहां भी जमीन घोटाला हुआ है। मैं शासन से मांग करता हूँ कि उसका भी बारीकी से जांच होना चाहिए। दूसरी मांग है मेरा कि यहां कुछ किसानों के बिचौलिये हैं जो 1 से 3 लाख रूपये में किसानों के जमीन को बेचवाये हैं उनको सर्तक हो जाना चाहिए। शासन के नियम अनुसार 15 से 20 लाख रूपये के मुआवजा रखे गये हैं। अगर देना है तो शासन के योजना के अनुसार मुआवजा दीजिए। दूसरी बात अभी हमारे वक्ताओं ने बोला है कि फैक्ट्री खुल जाता है तो यू.पी., बिहार के लोग आ जाते हैं। अगर आज हम विरोध नहीं करेंगे तो वही यू.पी., बिहार के लोग आयेंगे यहां । इसलिए हम विरोध कर रहे है बाहरी लोगों का। अगर प्लांट यहां खोलना है तो को हमारे क्षेत्र के किसान को, लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। आज हमारे बीच में बहुत दूर से आये हुए लोग नेतागिरी कर रहे है। मैं उन लोगों से भी निवेदन रहा हूँ कि क्षेत्र विकास के बारे में अपना विचार रखे। अगर हम लोग गलत बोल रहें है तो हमारा भी विरोध होना चाहिए। सब का सहयोग रहेगा तो जरूर उसमें कामयाबी मिलेगी, ऐसी मेरी सोच है।

18. **श्री केशव जोगी, ग्राम–मुरलीडीह** – जो केप्टिव लाईम स्टोन मांइस खुलना है उसके लिए क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी, जिला–बिलासपुर की स्वीकृति चाहिए रहता है। जितने भी बैठे है आप सभी जानते हैं। मैं यहां इतना कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो लाईम स्टोन माइंस खुलना है, जिसमें आसपास के किसानों का जमीन निकलेगा। यह बिल्कुल सत्य बात है। जिसका आसपास के किसानों को उसका लाभ होना चाहिए, जिसका जमीन निकलेगा। इसमें बीच में दलाल नहीं आना चाहिए। किसान को उनका हक मिलना चाहिए। आप लाफार्ज जो खदान खोल रहे है आपके क्षेत्र में उसके अधिकारियों से सीधे बात करिए। जो भी हितग्राही है जिसका जमीन लाफार्ज लेना चाह रही है। किसान के हित के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहां पर किसानों के जमीन को ये जो अरसमेटा सीमेंट कंपनी लाफार्ज खरीद रहा है। आपके चिल्हाटी गांव के क्षेत्र के विकास, क्षेत्र के जनता के विकास, पढाई–लिखाई, सडक, स्वास्थ्य और अच्छा शिक्षा हो ये आप लोगों का सोच होना चाहिए। लेकिन बीच में ऐसे लोग आ जाते है जो आपको अपने उद्देश्य के दिशा से बहका देते हैं। मेरा कहने का आशय

यह है कि आपका जो उद्देश्य है वह कंपनी तक साफ तौर पर पहुंचने चाहिए। यहां चिल्हाटी पताईडीह के आसपास के लोग है। आम आदमी तो ये चाहता है कि मेरा जमीन निकल गया है उसका मुआवजा 10–12 लाख मिला उसका घर बनवाये, गाडी खरीदे, बाल–बच्चे की शादी किये । अब उसके पास जमीन नहीं है तो उसको काम चाहिए। उनको काम जो है यही बिचौलिये लोग नहीं देना चाहते है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपके क्षेत्र में माइंस खुल रहा है तो अगर आपके हित के लिए है तो आप लोग इसके बारे में जरूर सोचिये।

19. **श्री ओम प्रकाश राय–य**हां हम लोग जनसुनवाई में आये है। यहां दो पक्ष है। एक मैनेजमेंट लगाना चाहता है और एक यहां का आम स्वाभाविक किसान है। कहने का मतलब है कि यहां जब फैक्ट्री लगाना है जनसुनवाई करना है उसके लिए निर्धारित नहीं किया गया है इसका मतलब है कि आप लोगो को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हम किसान लोगो को पहले से मैनेजमेंट के लोग 5–6 दिन से इस क्षेत्र में घूम रहे है। किसी को कुछ भी किसी को सिक्का, किसी को पैसा बांट रहे है और किसी को किसी भी प्रकार का लालच देके अपने पक्ष में बोलने के लिए लाये है। क्यो लाये है मैनेजमेंट पहले से दलाली कर रहा है। ताकि हमारा जमीन को कम से कम कीमत में खरीद करके हमारे साथ अन्याय कर सके। मै यह कहना चाहूंगा कि किसान के हित में बोला है उसका स्वागत करना चाहता हू लेकिन जो किसान के और हमारे मस्तूरी क्षेत्र के आप लोगो के हित में नहीं बोला है मै उसका विरोध करता हूँ। मै मैनेजमेंट के लिए कहना चाहता हूं कि वो हम लोग के लिए शोषण के लिए फैक्ट्री लगाना चाहता है। हम लोग के बाल बच्चो को अंधा बनाना चाहता है। लंगड़ा लूला बना चाहता है। ताकि हम पर्यावरण में आक्सीजन न ले सके। और आक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जायेंगे। पर्यावरण के लोग आज क्यो आये हैं पर्यावरण के लोग इसलिए आये है कि आपत्ति दर्ज कराना चाहते है। छ0ग0 में आज मस्तूरी क्षेत्र में ही फैक्ट्री खुल रहा है। पूरा देश में और छ0ग0 में फैक्ट्री लगा है। आज मस्तूरी क्षेत्र में इन लोग यही करने वाले है। इन लोग मैनेजमेंट के साथ और कुछ हमारे साथ हो जाये कि विरोध करें। अगर ऐसा होता तो हम किसान लोग का फैक्टी लगा होता। उन लोग बताते कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। मै ये कहना चाहूगां साथियो मेरे कुछ साथियों ने कुछ बोला है यहां विकास होना चाहिए। मै तो तब बोलूंगा कि फैक्ट्री लग जाये। फैक्ट्री तो लगाने वाले नहीं है इसको 200 फुट गड्डा खोद देंगे। और हम लोगो को कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग

आयेंगे और कुछ करेगें इधर से उधर होंगे। जैसे साथियों अकलतरा क्षेत्र में फैक्ट्री खुला है। वहां के लोग जगह–जगह जमीन खोज रहे है। मगर जमीन नहीं मिल रहा है। बिल्हा के लोग जमीन बेचे। वहां के लोग भी जमीन खोज रहे है। अगर मस्तूरी क्षेत्र के लोग भी जमीन बेच देंगे तो कहां जायेंगे। पूरा छ0ग0 में इतना फैक्ट्री लगने वाला हैं हम लोग को जमीन नहीं मिलेगा। क्या हम लोग धूल मिट्टी खा के जियेंगे। क्या हम लोग उत्तरप्रदेश के उपर आर्सित रहेंगे। ये जो मैनेजमेंट है हम लोग को आपस में लड़ा रहे है। ये लोग को आपस में लड़ाकर के कुछ पैसा देकर के अपने पक्ष में कर लिया है। और कुछ लोगो तो हम जैसे किसान के हित में बोल रहे है किसान के बेटे है किसान को किसानी में कितना लाभ होता है कितना नुकसानी होता है सबको हम जानते है। हमको बताने की बात नहीं है। लेकिन कई लोग बाहर के होकर के भी अपना अनुभव हमको बांटे है। अनुभव लेना चाहिए। मै ज्यादा बात इसलिए नहीं रखना चाहता हूँ कि कई लोग बोले और मै बार–बार यही कहना चाहता हूं के मै मैनेजमेंट को धितकारता हूं। और किसान के हित मे हूँ। कि जैसे हमारे साथियो का हमारे शासन का और हमारे किसानो का मर्डर भी हो जाये। और मान जाये और हमारे किसानो को 25 लाख दे ऐसा तय हो जाता हैं हमारे किसान मान जाते है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक के इस क्षेत्र के लोग इसका विरोध करेंगे।

20. **श्री सुरेन्द्र कुमार मधुकर पचपेडी**–यहां माइंस खुलने से हमारी क्या हानि होगी क्या लाभ होगा। और आप देखे अब तक क्या विकास हुआ है और खुलने से क्या होगा। इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन एक विषय और है। इसके पहले 3–4 साल पहले सभी को पता है। यहां इस क्षेत्र में 3–4 फैक्ट्रीयां खुलेगी। इसके पहले जो चिल्हाटी है, पतैईडीह है, जैतपुर है पहले से यहां जमीन की खरीदी ब्रिक्री चल रही है। यहां किसान पहले से 8–10 लाख में जमीन बेच चुके है। और कहां बलौदा वाले है बिलासपुर वाले है बडे–बडे जो मालगुजार है वो इसी तरह का जमीन खरीद चुके है। माल लिया जाये माइंस खुलती है जिस किसान की जमीन निकलती है। उसको दी जाये नौकरी, जो पहले से बेच चुके है जमीन उसको कहां से मिलेगी नौकरी इस बात को मै शासन से प्रशासन से इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। इस क्षेत्र के नागरिक होने के नाते मै यही कहना चाहूंगा जो भी कंपनी द्वारा प्रशासन के द्वारा कमियां सुनाई जा रही है। इस त्रृटि को अवगत हो रहे है। तो ऐसा नही तो पहले है। तो मै यही कहना चाहूंगा किसान के हित में सुविधाएं है। उनकी निजी जिंदगी की हित में शासन के हित में कंपनी को विशेष ध्यान देना चाहिए। यहां कंपनी खुलने से शिक्षा की विशेष

पहल होगी। जब आप शिक्षित नहीं रहेंगे। तो आपकी शिक्षा उच्च स्तर की नही रहेगी तो इंजीनियर कैसे बनेंगे। तो पढाई लिखाई चल रही है। इस स्तर से यहां कोई दलाल नहीं है। हो हल्ला करने से यहां कुछ नहीं होगा। जहां खुल रही है खुल के रहेगी। पहले से बडे–बडे जमीन मालगुजार खरीद चुके है। समर्थन करते है।

21. **श्री धरम भार्गव, टिकारी–पाराघाट, जिला पंचायत सदस्य** :–मै इतना कहना चाहता हूँ कि अगर यहां फैक्ट्री नहीं डालना रहता यदि प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार के बगैर यहां मोहर बिना इन लोग यहां नहीं आ सकते थे। ये मेरा तीसरा जनसुनवाई हैं। जनसुनवाई गोंडाडीह में हुआ था जिसमें घोर विरोध हुआ था। उसके बाद क्या हुआ चालू है काम, जमीन खरीदी बिक्री चालू है। दूसरा विरोध जनसुनवाई पाराघाट में 2 –3 लोग समर्थन में दिये थे। उसके बाद पूरे आदमी विरोध किये थे। लेटर पैड में लिख–लिख के दिये थे जिसके बाद भी फैक्ट्री बन के तैयार है। साथी लोग मै इतना कहूंगा कि ये पूरा हो चुका है। इनका टोटल काम हो चुका है जितना भी होना था हो चुका है। जितना विरोध करेगें खदान फैक्ट्री खुलके रहेगा। जितना विरोध करेंगे अपना काम चालू करेगा। फैक्ट्री वाले में दम है पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा बिजली ये सब के व्यवस्था प्रभावित क्षेत्र के अंदर किसान के साथ प्रभावित किसान के साथ मुआवजा के तौर पर हो। जमीन खरीदी होगा। वो चाहे जितना भी शासन के द्वारा निर्धारित है। वो किसान को मिलेगा कि बिचौलिया को भाई लोग हमारे विरोध कर रहे है। हम जमीन बेचते ही नहीं तो इन लोग रहेंगे कहां पर। हम लोग जो जमीन बेचने के लिए तैयार हो गये है तो फैक्ट्री के लोग जमीन खरीदने का काम कर रहे है। अगर कंपनी में दम है। हर किसान के मुआवजा को पूर्ति करे, तो मै उसका स्वागत करूँगा। इधर उधर करेगा तो मै विरोध करूँगा। लाठी से मारे के।

22. **श्री सरफराज खान, ग्राम–जुनवानी**–जो कहा सही कहा है यहां बहुत सारी समस्या है। हमारे यहां मैदान नहीं हैं हमारे यहां रोड़ है जो खराब हो चुका है यहां गरीब आदमी के उपर ध्यान देंगे। मै लाफार्ज इंडिया का समर्थन देने को तैयार हूँ।

23. **श्री हेमचंद भार्गव, ग्राम–मनवा** –लाफार्ज इंडिया के प्रभावित एरिया मडवा, कुकरदी पतई, ये सब गांव के ये इण्डस्ट्रीज वाले लोग को मुझसे सुनना चाहते है उन्ही लोग को जमीन बेच दिये है और हम विरोध करेंगे तो बेकार है। प्रभावित गांव के लोग बोले अपना विचार रखा है। इण्डस्ट्रीज वाले बताये क्या करना है और क्या नहीं करना।

24. **श्री विनोद कुमार, ग्राम–अरसमेटा –** बहुत हल्ला हुआ बहुत बात हुआ और सब को बोलने का हक है। मै नहीं जानता इसके विषय में बहुत चर्चा हुई। मै आभारी हूँ कि मुझे आप लोग के बीच में बोलने का सौभाग्य प्रप्त हुआ। साथियो ईश्वर ने हम सबको जीव व प्रकृति के बीच में एक संतुलन प्रदान किया है अब उस संतुलन को छेड़ने का किसी को कोई हक नहीं है। हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने का किसी को भी हक नहीं है। यदि हम जिंदा है। तो हमारा प्रकृति है तो हमारा धर्म है हमारा राष्ट्र भक्ति है उसे हम किसी को छेड़ने नहीं देंगे। प्रकृति की जो अभी जवाबदारी है। इसी संतुलित व्यवस्था में हमें विकास करना पड़ेगा। हम आगे नहीं हुये तो पीछे हो जायेंगे। साथियों घोड़ा का रेस किसने देखा है ओर किसने नहीं देखा। लेकिन कोई एक घोड़ा घोड़े की रेस में दूसरे घोड़े से सैकड़ो मीटर दूर नहीं होता। एक टाप का होता है एक टाप में जो घोड़ा आगे बढता है सभी अपने विकास के लिये मरे जा रहे है। बडा हो या छोटा सभी अपने विकास के लिए मरे जा रहे है। और अपने विकास में जो लोडिंग करते है उनके लोडिंग के हिसाब से तन्ख्वाह होती है। उनकी तन्ख्वाह 20 से 22 हजार प्रतिमाह होती हैं। वहां का विकास हुआ है

25. **श्री मनोहर कुर्रे, पूर्व जनपद सदस्य मस्तूरी** –कंपनी के विरोध में खड़ा हूँ। अगर ये कंपनी प्रभावित गांव के किसानो के हित में प्रभावित गांव के हित में बात न करे तो मै विरोध मे हूँ सपोर्ट इस चीज का है कि जब ये कंपनी किसानो की जो उचित मांग है जो उनकी समस्या है और उनकी पूर्ति करता है तो मै उसका समर्थन करता हूँ। 18 फैक्ट्री छ0ग0 के अंदर खुला है पर्यावरण के अधिकारी जगह–जगह विधानसभा में या विकास खण्ड में जाकर कैम्प लगा रहे है और हमारे किसान लोगो से सहमति मांग किया गया है। हमारे किसान को धोखा नही होना चाहिए। हमारे किसान को बहकावे में नहीं आना चाहिए। पहले कंपनी हम लोगो से स्पष्ट करे कि गांव में फैक्ट्री लगेगा तो किसान को जमीन का मुआवजा कितना मिलेगा। अभी पता चला है हमारे बीच के ही आदमी कुछ बाहर से आये हुए दलाल के रूप में 2, 2.5 लाख में हमारे जमीन किसान लोगों को बहला फुसलाकर खरीद लिया गया है किसान लोगों की हित को ध्यान में रखते हुए जमीन का मुआवजा शासन तय करे। जनप्रतिनिधि को चाहिए कि फैक्ट्री लगने की चर्चा विधानसभा में करनी चाहिए। क्षेत्र में इस प्रकार का प्लांट आयेगा गड्डा खोदा जायेगा। इस क्षेत्र का माल को ले जायेंगे। इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों को विधानसभा में करना चाहिए। जो विधानसभा में बैठे हुए है उसे जनप्रतिनिधि द्वारा अवगत कराना चाहिए। वहां तो पास हो चुका है जनता का ख्याल

नहीं रखा गया हैं हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हम विरोध में लड़ते रहेंगे। प्रभावित किसान प्रभावित क्षेत्र के जनता के साथ है। जो क्षेत्र प्रभावित गांव हैं और जो जैसा पढ़ा–लिखा है उसे उसी योग्यता के हिसाब से काम देना होगा। छ0ग0 बनेगा तो हम छ0ग0 के लोगो को लाभ मिलेगा। पर आज हमको पता चला है कि छ0ग0 बनने से हमको कोई लाभ हुआ। यू.पी. बिहार से बडे–बडे मूंछ वाले को ठेका मिलता हैं उन्हे काम मिलता है वही लोग रोड़ बनाने का ठेका पाते है। और यहां से पैसा कमा कर चले जाते है। इस बात का मै विरोध करना चाहता हूं कि अगर फैक्ट्री, कारखाना खुल रहा है तो हमारे क्षेत्र के प्रभावित गांव के बच्चे को योग्यता के हिसाब से रोजगार देना होगा। जोंधरा से खोंदरा रोड़ इसकी हालत आप लोग देख रहे है कि इस रोड का कोई ठिकाना नहीं है खदान खुलेगा तो हज़ारो ट्रक चलेंगे तो इस रोड की क्या हालत होगी। यहां बड़े –बड़े ब्लास्टिंग होगा और किसानों के घरो में दरार पड़ेगी इसका जिम्मेदार कौन है अभी लाज लपेट के आपका समर्थन लेकर लिखा पढी करके फैक्ट्री लगायेगा यहां का जो बुनियादी समस्या है रोड का उसकी जिम्मेदारी ले। प्रभावित किसानो की जो बुनियादी समस्या चिकित्सा की बात है उसके लिए अस्पताल की व्यवस्था करें। जो बेराजगार भाई है उसकी रोजगार की व्यवस्था करें। विस्थापित किसान के लिए पुर्नवास की व्यवस्था करें। प्लांट लगाने के पूर्व यहां वृहद् रूप से वृक्षारोपण होना चाहिए।

26. **श्री जगदीश दुबे, ग्राम–अमोरा** –लाफार्ज अमोरा में खुला है तो गांव का विकास हुआ है।

27. **श्री पंकज शर्मा, ग्राम–सुकुलकारी** –ये कंपनी आयेगा उससे हमारा विकास होगा। मै किसान का लड़का हूँ बी ए करके 3–4 साल लाफार्ज में ट्रेनिंग किया हूं आज बडे पद में हूँ। विकास करना चाह रहा हूँ इसका मै समर्थन करता हूँ।

28. **श्री गुमान सिंह, ग्राम–खपरी बेलपान**–हमको विकास नहीं चाहिए शिक्षा नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चे लोग टूटे फुटे स्कूल में पढ लेंगे। हमे विकास नहीं चाहिए। हमारे बच्चो का इलाज झोलाझाप डाक्टर से करवा लेंगे। लेकिन ये जमीन नहीं देंगे। इसका हम विरोध करते है।

29. **श्री साधराम ध्रुव, ग्राम–बेलपान खपरी**–लाफार्ज कंपनी से हमें कुछ नहीं चाहिए। खुल कर विरोध कर रहे है एक डिसमिल भी जमीन नहीं देंगे।

30. **श्री तुलसीराम मनहर, कोकडी**–मैं लाफार्ज इंडिया का विरोध कर रहा हू। कंपनी के बारे में कहना चाहता हूँ कि यहां कोई प्लांट भी लगता है तो हमारी जनता का हित नही होता हैं यहां बाहरी आदमीयों का हित होता है। हमारे स्थानीय जनता को कोई लाभ नहीं हैं यहां लाफार्ज के सौकड़ो कमर्चारी आये है यहां छत्तीसगढ़ी नही है सिर्फ बिहारी, बंगाली, बाहरी आदमी आ करके यहां हमारी जमीन को लूट रहे है और उसका दलाल हमारे गांव में घूम रहा है उनके जमीन को 2 लाख, 3 लाख रूपये में खरीद रहा है। शासन से निवेदन है कि लाफार्ज इंडिया के प्रबंधन को यहां अपना रेट बतावे किसान को बतावे कि जमीन को इतना रेट में खरीद रहे हैं ताकि दलाल उसका लाभ न उठा सकें किसान जनता और कंपनी के बीच बात होना है। किसान राजी है तो जमीन खरीदेंगे। किसान राजी नहीं है तो जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर बहुत से आसपास के गांव के लोग आये है जो समर्थन करने आते है वे बाहरी आदमी है इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता और किसान भाईयो से निवेदन है कि ये फैक्ट्री को जमीन नहीं देना है किसी के बाप का अधिकार नहीं है कि जमीन को छिनेगा। कोई जमीन मत देना ये फैक्ट्री कैसे खुलेगा देख लेंगे। एक डिसमिल भी जमीन मत देना। इन लोग प्रलोभन दे रहे है इनके प्रलोभन में मत आना।

31. **श्री साहित राम मनवा**–जितने भी बोल रहे है सब बाहर के आये हुये है। हम 7–8 किसान भाई इतना हिम्मत नहीं है कि यहां आकर समस्या के बारे में एक संगठन बना लेते किसी मे हिम्मत नही है आपस में सभी लड़ रहे है कोई नेता नहीं बोल रहा है नेता को भाषण चाहिए हमको जमीन चाहिए। जमीन में कोई भी धन लक्ष्मी, अन्नपूर्णा माता उपजाकर पैदा करते है अभी तक गांव में कोई सूचना दिये है। मै तो सुन के यहां आया हूँ। यहां हकीकत में क्या चल रहा है अभी तक कोटवार, सरपंच, पंच ये लोग हमको कोई जानकारी नहीं देते है। नही तो हम लोग संगठन बनाकर यहां आते।

32. **श्री मंगलू प्रसाद टंडन, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष, मस्तूरी** –किसान के हित में बात कर रहे है। हमारे परिवार है उनका दुख हमारा दुख है। हमारा दुख है तो उनका दुख है। हमारे जनप्रतिनिधि जो परमीशन दिये हैं विधायक सांसद इन लोग परमीशन दिये है। इन लोग नहीं आये है। भाई लोग कह रहे है कि जो जमीन जा रहा है तो काम मिलना चाहिए। सही बात है मै भी कर रहा हूँ। कुशल अर्धकुशल जमीन के आधार पर काम मिलेगा। मै पूछना चाह रहा हूँ कि कुशल श्रमिक कहां पैदा होता है कुशल श्रमिक यही पढलिख के पैदा होता है कि मै कंपनी वाले से निवेदन करके कहना चाह रहा हूँ

कि कारखाना खुलने के पहले आईटीआई और यहां किसान भाई को कुशल श्रमिक बनाना, रोजगार देना, धरती जाने के बाद हम बेघर हो जाते है हम लोग सब्जी, भाजी, लकड़ी, छेना, बेच करके अपना जीवन गुजारा करते है। यह बहुत दुख की बात है हम धरती में पैदा हुए है। इसकी सुविधा से हमारा परिवार बढ़ा और आज हम देखते है कि हमारा परिवार बेघर होने के कगार पर खड़ा है। इसका विशेष ख्याल रखे और हमारे जनप्रतिनिधि मंजूरी देने के पहले ये बात को सोच ले कि धरती देने से पहले 10 लाख, 50 लाख में दे देंगे। पर हमको इसके बदले में धरती पैदा नहीं कर सकते धरती कम हो जायेगा। उतना धरती हमारे बीच में कम हो जायेगा। हमें अपने परिवार को स्थान देने के लिए जगह नहीं रहेगा। हमारा अनुरोध है कि हमारे जितने परिवार की जमीन जायेगी। उतने परिवार को ईमानदारी से नौकरी मिलना चाहिए। कंपनी में उसके आने वाले परिवार की पीढी को नौकरी मिलना चाहिए। किसान भाई को काम मिलता रहे। हमारे में दया भाव है। किसान भाईयो आप किसी बहकावे में मत आओ और अपने सोच समझ के निर्णय और शासन के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप पैसा लेना। हम इसका विरोध जरूर कर रहे है। इनको परमीशन पहले से मिल चुका है। जब तक हम सहयोग करेंगे तब तक फैक्ट्री चल पायेगी। ये प्लांट चलाने वाले हमारे जैतपुरी, चिल्हाटी के भाई होना चाहिए। ये धरती में सुख और शांति हमारे भाईयो को मिलना चाहिए। हमारे परिवार को मिलना चाहिए। आप लोग भी सुखी रहेंगे। आप लोग भी फलोगे फूलोगे। अगर इन लोगो को खुश नहीं रखोगो तो आप लोग भी खुश नहीं रहोगे। जेल भेजवाओगे लाठी डंडा को हम लोग डरते नहीं।

33. **<u>श्रीमती शकुंतला भाराद्वाज, ग्राम–गोंड़ाडीह</u>** –जो कंपनी यहां खुल रहा है यहां गरीब किसान व जनता है हमारे क्षेत्र को उसके जमीन का सही मुआवजा मिलना चाहिए। छोटे–छोटे बच्चे लोग को शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा पानी बिजली, चिकित्सा मिलना चाहिए। मस्तूरी क्षेत्र के नीचे पचपेडी क्षेत्र में शिक्षा पानी बिजली, चिकित्सा की समस्या झेलते आ रहे है। और अभी तक झेल रहे है। किसानो को उनके जमीन का मुआवआ मिलना चाहिए।

34. **<u>श्री धर्मेन्द कौशल, जनपद पंचायत मस्तूरी सभापति</u>** –प्रशासन से जानकारी चाहूंगा कि आपने जनसुनवाई का आज का समय दिया गया है वो प्रभावित गांव के किसान को अवगत कराया है या नहीं। हमको सुनने में आया है कि प्रभावित गांव में प्रचार प्रसार नहीं किया गया है और बहुत सारे किसान जो यहां मंच पर उपस्थित नहीं है। मेरा

आप से निवेदन है कि आज की जन सुनवाई को स्थगित करते हुए पुनः जनसुनवाई की तारीख तय करिये। प्रभावित गांव के किसानो में प्रचार–प्रसार होना चाहिए पांच गांव के सरपंच, पंच वहां गांव के किसान को आपकी कंपनी के द्वारा क्या–क्या सुविधाये प्रभावित किसानों दे रही है उनको अवगत कराये।

35. **श्री विरेन्द्र शर्मा मस्तूरी**–लाफार्ज इंण्ड. द्वारा इस क्षेत्र में आसपास के गांव में खदान खोलना चाहते है इस खदान के संबंध में हम इसका विरोध करते है। जहां–जहां फैक्ट्री खुली है। वहां का प्रदूषण आप एनटीपीसी को देख लीजिये रायपुर जिला में सिलतरा एरिया वहां की स्थिति देखिये पूरा भाटापारा, इधर सिमगा, नांदघाट ये एरिया सर्वाधिक प्रदूषण व्याप्त हैं यहां आम नागरिको को टीबी, ऑख की कमजोरी ये बीमारी हमेशा होती रहती है। इसलिए यहां से मिलना है प्रदूषण। फैक्ट्री द्वारा बाहरी आदमी को ला करके काम करवाते है। जिस क्षेत्र के किसान का जमीन गया रहता है वहां के एक भी किसान को चपरासी तक नहीं रखते है। पानी पिलाने के लिए हम लोग इसका विरोध करते है। इस क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। कारखाना नहीं खुलना चाहिए। क्योकि यहां खुलने से तमाम प्रकार की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलेगी, रोड की स्थिति दयनीय होगी। आसपास के क्षेत्र पूरी कृषि भूमि है। यहां किसान खेती करके अपना जीवकोपार्जन करते है। अगर ये खदान खुल जायेगी तो जीवकोपार्जन के साधन बंद हो जायेंगे। किसान बेरोजगार हो जायेंगे। भूखे मरेंगे, इसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। इसका मै पूरजोर विरोध करता हूँ।

36. **श्री रामसाय टंडन, ग्राम–रहटाटोर** –मै अपना व्यक्तिगत विचार रखता हूँ कि यहां के किसान उनके बच्चे के बच्चे जब हमारा जमीन उपजाउ करके अपना जीवन यापन करते है तब उसके बच्चे के बच्चे करते है। यदि फैक्ट्री को जमीन दे दिया जाए तो बच्चे भूखे मर जायेंगे। यदि उसके एवज में ऐसा मापदण्ड हो कि 60 वर्ष तक, अनुकंपा नियुक्ति हो। और भूमि कि विशेष समस्या हो तो किसानो के साथ बैठकर विचार–विमर्श करें। उसका जमीन अधिग्रहण करे। मै आठों गांव से आग्रह करता हूँ कि एक दिन सभी किसान चिल्हाटी में बैठकर हम लोग चर्चा करें इसके बाद फैक्ट्री वाले की जनसुनवाई में आयेंगें।

37. **श्री कृष्ण कुमार निर्णेजक, मस्तूरी**–जनसुनवाई होने के पूर्व शासन का नियम है जितने भी प्रभावित गांव है जो इस क्षेत्र जहां प्लांट लगना है वहां पर गांव में एक दिन पहले मुनादी किया जाता है। किसी पेपर या पत्रिका के माध्यम से जानकारी दी गई हैं यहां

जनसुनवाई होना है शासन प्रशासन की इस नीति का पुरजोर विरोध करते है। इस जनसुनवाई का खुलकर विरोध करते है। हम शासन से कहना चाहते है कि यदि यहां प्लांट खोलते है। या खदान खोलते है उसके पहले गांव में मुनादी की जाती है। लागो को जो प्रभावित किसान है उसके पास जानकारी दी जाये। जनसुनवाई होनी है। हमारे इस क्षेत्र में लाफार्ज से प्लांट नहीं खुल रहा है। न ही कोई फैक्ट्री है। ये लाईम स्टोन का खदान है। यहां से सिर्फ पत्थर ले जाया जायेगां सीमेंट बनाने के लिए। यहां कोई प्लांट या फैक्ट्री नहीं खुल रहा है। यहां जैसे 300 लोगो का रोजगार दिया जायेगा। क्या रोजगार दिया जायेग पत्थर तोडने का। अगर लगाना है तो प्लांट लगाईये, फैक्ट्री लगाईये ताकि यहां के जो पढे लिखे बेरोजगार भाई को रोजगार मिले। जो भविष्य में नौकरी पाने से आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। न की यहां लाईम स्टोन खोला जाये।

अपर कलेक्टर श्री एन. के. टिकाम, जिला–बिलासपुर द्वारा जन सामान्य को अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई के पूर्व निर्धारित अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तावित नवीन केप्टिव लाईम स्टोन माईन्स के संबंध में 86 आवेदन एवं लोक सुनवाई के दौरान 59 प्राप्त हुये। कुल 145 आवेदन प्राप्त हुये है। सम्पूर्ण लोक सुनवाई कार्यक्रम की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराई गई है। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 450 जनसामान्य की उपस्थिति रही, जिसमें से 37 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित नवीन केप्टिव लाईम स्टोन माईन्स स्थापना के संबंध में मौखिक रूप से सुझाव/विचार एवं आपत्तियां व्यक्त की गई है। जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय मे से 74 लोगो द्वारा अपनी उपस्थिति, लोक सुनवाई उपस्थिति पत्रक में दर्ज कराई है।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के समापन पर अपर कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा उपस्थित जन समुदाय, उद्योग प्रबंधन, जनप्रतिनिधि तथा मीडिया को लोक सुनवाई में उपस्थित होने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही को संपन्न करने की घोषणा की गई।

बी. एस. ठाकुर
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
बिलासपुर (छ.ग.)

एन. के. टिकाम
अपर कलेक्टर,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
बिलासपुर (छ.ग.)